LMCP
LUCKNOW MODEL COLLEGE OF PHARMACY
ISO 9001: 2008 Certified

- Recognised by AICTE & PCI, New Delhi, (Govt of India)
- Affiliated to Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University (AKTU), Lucknow, U.P. Code 1023
- Board of Technical Education (BTE), Lucknow, U.P. Code 2018

Phone : 7311111328, 7311111326, 7311111613

Run by Chhatrpati Shahu Ji Maharaj Educational Society

छात्र मानसिक स्वास्थ्य सुदृढीकरण एवं आत्महत्या रोकथाम हेतु समिति गठन संबंधी कार्यालय आदेश

विषय: संस्थान में अध्ययनरत छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण, भावनात्मक सुदृढ़ता, समयबद्ध परामर्श व्यवस्था तथा आत्महत्या की घटनाओं की रोकथाम हेतु शासन, PCI एवं अन्य सक्षम प्राधिकरणों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के प्रभावी एवं कठोर अनुपालन के संबंध में।

उपरोक्त विषयक निर्देशों के आलोक में यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान समय में छात्र मानसिक स्वास्थ्य एक अत्यंत गंभीर एवं संवेदनशील विषय है, जिसके प्रति संस्थान की नैतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक जिम्मेदारी सर्वोपरि है। छात्रों में बढ़ते मानसिक तनाव, अवसाद एवं अन्य मनोवैज्ञानिक चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए, संस्थान स्तर पर एक सुदृढ़, सक्रिय एवं उत्तरदायी तंत्र स्थापित किया जाना अत्यावश्यक है।

अतः संस्थान में छात्र मानसिक स्वास्थ्य के समग्र संरक्षण, परामर्श सेवाओं के सुदृढ़ संचालन, संकटग्रस्त छात्रों की समयपूर्व पहचान, आवश्यक सहयोग एवं हस्तक्षेप सुनिश्चित करने तथा आत्महत्या रोकथाम संबंधी सभी उपायों को प्रभावी रूप से लागू करने के उद्देश्य से निम्नलिखित समिति का गठन तत्काल प्रभाव से किया जाता है:

क्रं स	पदनाम	नाम
1.	मुख्य समन्वयक	डॉ शशांक तिवारी
2.	समन्वयक	श्रीमती साधना सिंह
3.	काउंसलर	श्री धीरज कुशवाहा
4.	सदस्य-सचिव	श्री अनुराग
5.	सदस्य	श्री नजीबुल्लाह
6.	सदस्य	श्रीमती सरिता रावत
7.	सदस्य	मो0 इसरार अहमद
8.	छात्र समन्वयक	कुणाल नारंग

तिवारी
7/4/26

समिति के दायित्व एवं कार्यक्षेत्र:

- छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु नियमित कार्यशालाओं, सेमिनार एवं संवाद सत्रों का आयोजन करना।
- संस्थान में एक सुलभ, गोपनीय एवं संवेदनशील काउंसलिंग प्रणाली सुनिश्चित करना।
- मानसिक रूप से जोखिमग्रस्त छात्रों की पहचान कर उनके लिए समयबद्ध सहायता एवं परामर्श उपलब्ध कराना।
- छात्र-शिक्षक एवं अभिभावक के मध्य प्रभावी संवाद स्थापित करना।
- शासन द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करना।
- आपात परिस्थितियों में त्वरित हस्तक्षेप एवं सहायता तंत्र सक्रिय करना।
- मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित शिकायतों एवं समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करना।

यह समिति संस्थान में एक सुरक्षित, सहयोगात्मक एवं सकारात्मक वातावरण निर्मित करने हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी तथा अपने कार्यों की नियमित समीक्षा करते हुए प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

त्रिवारी 7/4/26

निदेशक